

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 149/2019

विमल कुमार मिश्रा पुत्र स्व. श्री शिवकुमार मिश्रा निवासी वार्ड नम्बर 19 मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति.जिला कलक्टर ) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.10.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.09.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 149/2019 पर दिनांक 18.09.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति.जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति.जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति.जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/1341-42 दिनांक 18.09.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति.जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/4013 दिनांक 10.10.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 10.06.2019 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक विविध/2019/152 दिनांक 26.06.2019 एवं एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2009/156 दिनांक 30.09.2019 द्वारा सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित । अपीलार्थी ने बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्राप्त होना नहीं बताया तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना दिलवाई जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति.जिला कलक्टर ) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 10.06.2019 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक विविध/2019/152 दिनांक 26.06.2019 एवं एफ 16(4)(5)न्याय /सू0अ0/2009/156 दिनांक 30.09.2019 द्वारा सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 2 की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से एक माह में निःशुल्क उपलब्ध करावें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रवि जैन )

जिला कलक्टर, झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू